

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

शंसोधित आदेश ::

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोवर्धनपुरा व भू अभिलेख निरीक्षक चित्तपन्ना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंथा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोवर्धनपुरा पटवार हल्का गोवर्धनपुरा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2015-10-2028 में खाता संख्या 81-89 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>गोवर्धनपुरा</u>	<u>81</u> <u>89</u>	<u>रामा 5/0 मजना रेग</u> <u>डाबू 5/0 मजना रेग</u> <u>बुन्दा 5/0 मजना रेग</u> <u>हीरी 4/0 मजना रेग</u>	<u>रामा, डाबू बुन्दा, 5/0 मजना रेग</u> <u>मजना, हीरी 4/0 मजना रेग</u> <u>मजना रेग</u>

प्रभाषी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 4/1/22

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 20

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभाषी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

PP20/2021

2021/707

